न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओ.पी. बुनकर, I.A.S.

प्रकरण संख्या –33/2022 (अपील)

जीसीएसएस नं0 2022/151

सतीश शर्मा आत्मज जयदेव प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 4–ख–22–बी जवाहर नगर, जयपुर जरिये मुख्तार आम ऋषि उपाध्याय आत्मज श्री राकेश उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 4–सी–29, तलवण्डी कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा आदेश दिनांक 26.08.2019 इंतकाल संख्या 105 ग्राम खेड़ली पुरोहित

उस्थिति

1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक–27.07.2022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम खेड़ली पुरोहित राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.2.2016 की पालना में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज भूमि खाता सं0 37 को अपीलान्ट के नाम नामा0 सं0 105 दर्ज किया गया गया किन्तु आदेश दिनांक 26.8.2019 से "राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्र कमांकप.3(53) राज–7/2019 जयपुर दिनांक 31.7.2019 से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश करने का प्रशासनिक निर्णय लिया जाने से नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.4.2022 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई । अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक इन्तकाल नम्बर 105 को आदेश दिनांक 24.8.2019 से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट की आराजी ग्राम खेडली पुरोहित तहसील लाडपुरा स्थित आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा कम कर खसरा नम्बर 79/299 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 79/311 रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10 हे0 भूमि को खाता सरकार दर्ज कर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा न्ययालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में दुरूस्ती का प्रकरण प्रस्तुत किया जो दनांक 3.11.2011 को खारिज फरमा दिया गया जिसकी अप्रसन्नता से अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में अपील प्रस्तुत की उक्त अपील दिनांक 29.5.2012 को खारिज कर दी गई जिसकी अप्रसन्नता से अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 4975/2012 डॉ सतीश शर्मा बनाम सरकार के उनवान से प्रस्तुत की जो न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 18.2.2016 को स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम आराजी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जिसकी पालना में रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट के नाम इंतकाल नम्बर 105 तस्दीक कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया तथा नियमानुसार अपीलान्ट दर्ज आराजी का उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है किन्तु फिर भी अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के नाम दर्ज आराजी को बिना किसी आधार एवं तथ्य के केवल मात्र राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में प्रकरण प्रस्तुत करने की स्वीकृति को आधार मानकर नाम हटाये जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक इंतकाल नम्बर 105 के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है । उक्त इंतकाल आज भी किसी सक्षम आदेश से निरस्त नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट निरस्तर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.8.2019 खारिज फरमाया जाकर तस्दीक इंतकाल नम्बर 105 को बहाल किये जाने का आदेश फरमावें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम खेडली पुरोहित तहसील लाडपुरा स्थित आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा कम

जिला कलेक्टर
कोटा

कर खसरा नम्बर 79/299 रकबा 0.06 हे0, खसरा नम्बर 79/311 रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.10 हे0 भूमि को खाता सरकार दर्ज कर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी जिस पर अपीलान्ट द्वारा न्ययालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में दुरूस्ती का प्रकरण प्रस्तुत किया जो दनांक 3.11.2011 को खारिज फरमा दिया गया प्रथम अपील अति0 संभागीय आयुक्त द्वारा भी खारिज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील संख्या 4975/2012 डॉ सतीश शर्मा बनाम सरकार के उनवान से प्रस्तुत की जो न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 18.2.2016 को स्वीकार कर अपीलान्ट के नाम आराजी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया, जिसकी पालना में रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट के नाम इंतकाल नम्बर 105 दर्ज किया गया किन्तु "राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्र कमांकप.3(53) राज–7/2019 जयपुर दिनांक 31.7.2019 से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश करने का प्रशासनिक निर्णय लिया जाने से नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया ।

5. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील दर्ज इंतकाल नम्बर 105 ग्राम खेड़ली पुरोहित में "राजस्व (ग्रुप–7) विभाग के पत्र कमांकप.3(53) राज–7/2019 जयपुर दिनांक 31.7.2019 से प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश करने का प्रशासनिक निर्णय लिया जाने से आदेश दिनांक 26.8.2019 से नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया । के विरूद्व लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है, विलम्ब के लिए अपीलान्ट का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को समुचित सुनवाई एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही इन्तकाल नम्बर दिनांक 22.8.2019 को निरस्त कर दिया जिसकी प्रथम जानकारी दिनांक 2.3.2022 को कम्प्यूटर पर जमाबंदी की नकल देखने पर हुई । तत्पश्चात दिनांक 7.3.2022 को नकल प्राप्त की इसके बाद प्रार्थी बीमार हो जाने से आज ठी होते ही अपील प्रस्तुत की है । प्रार्थी की त्रुटि सद्भाविक एवं क्षम्य होने से न्यायहित में दिनांक 26.8.2019 से आज तक की अवधि कन्डोन करने हेतु निवेदन किया है । मियाद के सम्बन्ध में रेस्पो0 की ओर से कोई आपत्ति पेशनहीं की गई है, इस हेतु प्रार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में की गई प्रार्थना उचित मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

6. तहसीलदार लाडपुरा से आदेश दिनांक 26.8.2019 के सम्बन्धम में रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कमांक/6757 दिनांक 26.7.2022 से

जिला कलेक्टर
कोटा

रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें भी राजस्व (ग्रुप–7) के पत्र दिनांक 31.7.2019 के आधार पर इन्तकाल अस्वीकृत किया जाना बताया है किन्तु उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की अथवा नहीं यह स्पष्ट नहीं किया है, चूंकि प्रकरण में भूमि नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है तथा रिट भी नगर विकास न्यास द्वारा ही प्रस्तुत की जानी है । इस अपील में नगर विकास न्यास को पार्टी नहीं बनाया गया है ऐसी स्थिति में अपील अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाकर अपीलान्ट एवं नगर विकास न्यास को सुना जाने तथा अब तक नगर विकास न्यास द्वारा रिट प्रस्तुत नहीं की गई है तो राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.2.2016 की पालना में नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना उचित पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं नगर विकास न्यास को सुनवाई का अवसर प्रदान करें तथा यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 31.7.2019 के सन्दर्भ में अब तक नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त प्रकरण में रिट प्रस्तुत की गई है अथवा नहीं ? यदि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की जा चुकी हो तथा स्थगन हो तो अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.8.2019 यथावत रहेगा । इसके विपरीत यदि अब तक रिट प्रस्तुत नहीं की गई है तो अपीलाधीन नामा0 सं0 105 स्वीकृत किया जावें । तहसीलदार लाडपुरा 15 दिन में निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/2022

(ओ.पी. बुनकर)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा